21B.

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 23, 1917)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-38-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, रायपुर से दुर्ग के बीच प्रायवेट बसों का अवैध संचालन होने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, निर्भय सिंह पटेल, गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम बेदार नगर में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी तहसील के एक रेंजर द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम दुधावा में सिंचाई बांध से पानी छोड़ने में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति का तिरपनवां, चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बोधराम कंवर, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम पनौठा में आयुर्वेदिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराये जाने ;
(ख) ग्राम मडग्या-मबैया के बीच नदी पर रपटा बनाये जाने ; तथा
(ग) हरपालपुर मंडी प्रांगण के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने तथा पेयजल हेतु ट्यूबवेल खनन कराये जाने ;

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर स्थित खेल मैदान से अतिक्रमण हटाये जाने ;

(3) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वराना से रजत ग्राम मवई तक सड़क बनाये जाने ;

(4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बधोली में पशु-औषधालय खोले जाने ; एवं

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पांखी नाले पर पुल बनाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.